

लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़**पीठासीन अधिकारी - आलोक रंजन (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 001/2024(सू.अ.) (GCMS 2024/10)	दायर दिनांक 19.01.2024	निर्णय दिनांक 07.02.2024
--	---------------------------	-----------------------------

अनवान
प्रमोद कुमार निगम निवासी "शुभाशील" सी-13 बापूनगर, सेंती
चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

बनाम
सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी**प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005****-:: निर्णय ::-**

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 22.11.2023 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समयावधि 30 दिवस की अवधि में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/संरिश्ता/प्र.सं./001/2024(सू.अ.)(07.02.2024)/22 दिनांक 19.01.2024 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना-पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 07.02.2024 अपील अपीलार्थी अनुपस्थित रहे हैं। अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ से पत्रांक लोसूअ/विविध/2024/14 दिनांक 06.02.2024 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि



अपीलार्थी/आवेदक द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 22.11.2023 से वांछित सूचना हेतु प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार चित्तौड़गढ़ को पत्रांक/लोसूअ/परिवाद/विविध/2024/12 दिनांक 01.02.2024 से सूचना सीधे अपीलार्थी/आवेदक को प्रेषित किये जाने हेतु लिखा गया है।

इसके साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई हैं जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन एवं उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन/अध्ययन/परिशीलन किया। तथ्यों का चित्त मन से शांतिपूर्वक चिंतन-मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प. 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल हैं, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार से अपेक्षित है एवं अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना सीधे अपीलार्थी को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार को लिखा गया है। इससे यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि सूचना प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार से संबंधित होकर अपीलार्थी को आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है।

इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात से अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य बखूबी प्रमाणित कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी/अपीलार्थी लोक सूचना अधिकारी को नियमानुसार आवेदन पत्र दिनांक 22.11.2023 मय आवेदन शुल्क के सहायक लोक सूचना अधिकारी को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित किया गया है, इस तथ्य को लोक सहायक सूचना अधिकारी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा इस सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी को नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाना प्रमाणित कराया गया है। हमने अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना



अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र 22.11.2023 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 22.11.2023 का नियमानुसार निर्धारित समयावधि में निस्तारित नहीं किया जाना प्रमाणित पाया गया है। अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील आवेदन-पत्र दिनांक 04.01.2024 जो कि इस न्यायालय में दिनांक 09.01.2024 को प्राप्त हुआ है जो कि अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत आवेदन पत्र दिनांक 22.11.2023 के संबंध में निस्तारण की विहित समयावधि में नहीं किया जाना प्रमाणित पाया गया है, एवं अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन पत्र जो कि प्रस्तुत किये जाने की विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 22.11.2023 में वर्णित बिन्दुओं से वांछित सूचना आज दिनांक तक प्राप्त नहीं होना अवगत कराया गया है, एवं अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्राप्त आवेदन हेतु निर्धारित समयावधि में अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन का निस्तारण नहीं किया गया है, जिससे अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन दिनांक 22.11.2023 जो कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ को प्रेषित किया गया है, बाबत स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को आवेदन पत्र दिनांक 22.11.2023 से वांछित बिन्दुओं की सूचना प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार से प्राप्त कर 10 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करावें एवं पालना प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करावें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **07.02.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)